

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (14) वन/2022

जयपुर, दिनांक:- 10 FEB-2022

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।


विषय :- Diversion of 1.789 ha. of forest land in favour of Ajmer Development Authority for Widening of Road and Construction of Divider from Sr. School Lohagal to police Chowki Shastri Nagar Ajmer, District-Ajmer, Rajasthan".

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14(356/34)2019/एफसीए/प्रमुवस/3789 दिनांक 03.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में कृपया निम्न बिन्दुओं पर सूचना/टिप्पणी भिजवाने का श्रम करावे:-

1. विषयांकित प्रस्ताव में सड़क के चौड़ीकरण एवं डिवाइडर के निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही है। अतः सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है तो क्या सड़क पहले से प्रत्यावर्तित है या 1980 से पूर्व की सड़क है ?
2. प्रस्ताव में सड़क के दानों ओर वन विभाग द्वारा दीवार का निर्माण होना प्रतीत हो रहा है स्थिति स्पष्ट करावे क्या उक्त दीवार का ध्वस्त किया जाना है। यदि हाँ तो पुनः दीवार के निर्माण का कार्य किस स्तर पर किया जाना होगा।

भवदीय,

(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी